

# राजस्व वसूली अधिनियम, 1890

(1890 का अधिनियम संख्यांक 1)<sup>1</sup>

[14 फरवरी, 1890]

कतिपय लोक मांगों की वसूली के लिए और  
अच्छा उपबन्ध करने के लिए  
अधिनियम

यह समीचीन है कि कतिपय लोक मांगों की वसूली के लिए अच्छा उपबन्ध किया जाए; अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 कहा जा सकेगा।

<sup>2</sup>[(2) इसका विस्तार <sup>3</sup>[जम्मू और कश्मीर राज्य] के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है; <sup>4</sup>\*\*\*

<sup>4</sup>\* \* \* \* \*

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(1) “जिला” के अन्तर्गत प्रेसिडेन्सी-नगर भी है;

(2) “कलक्टर” से किसी जिले के भू-राजस्व प्रशासन का भारसाधक मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है; और

(3) “व्यतिक्रमी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली कोई राशि देय है, और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी ऐसी बकाया या राशि के संदाय के लिए प्रतिभू के रूप में उत्तरदायी है।

3. लोक मांगों की उन जिलों से जिनमें वे संदेय होती हैं भिन्न जिलों में आदेशिका के प्रवर्तन से वसूली—(1) जहां कोई भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली कोई राशि कलक्टर को ऐसे व्यतिक्रमी से संदेय है जो उस जिले से भिन्न जिले में है या सम्पत्ति रखता है जिसमें वह बकाया प्रोद्भूत हुई या वह राशि संदेय है, वहां कलक्टर उस भिन्न जिले के कलक्टर को, अनुसूची के यथाशक्य निकटतम प्ररूप में एक प्रमाणपत्र भेज सकेगा जिसमें—

(क) व्यतिक्रमी का नाम और ऐसी अन्य विशिष्टियां कथित होंगी, जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक हों; और

(ख) उसके द्वारा संदेय रकम और जिस लेखे वह देय है वह कथित होगा।

(2) प्रमाणपत्र, उसे देने वाले कलक्टर द्वारा <sup>5</sup>[या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसको ऐसा कलक्टर लिखित आदेश द्वारा यह कर्तव्य प्रत्यायोजित करे], हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय वह उसमें कथित विषयों का निश्चायक सबूत होगा।

(3) उस भिन्न जिले का कलक्टर प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह ऐसी भू-राजस्व की बकाया हो जो उसके अपने जिले में प्रोद्भूत हुई हो।

4. अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन वसूल की गई रकम के संदाय के दायित्व से इन्कार करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध उपचार—(1) जब प्रमाणपत्र में कथित रकम की वसूली के लिए अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाहियां की जाती हैं तब यदि वह व्यक्ति उस रकम या उसके किसी भाग के संदाय के अपने दायित्व से इन्कार करता है और उसका संदाय, संदाय के समय लिखित रूप में और अपने अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यापत्ति के अधीन करता है तो वह ऐसी संदत्त रकम या उसके भाग के प्रतिसंदाय के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

<sup>1</sup> इस अधिनियम को बनारस फेमिली डोमेन्स को लागू करने में उपान्तरित किया गया। बनारस फेमिली डोमेन्स अधिनियम, 1904 (1904 का यू० पी० 3) की धारा 15 देखिए।

इस अधिनियम का विस्तार उपांतरणों सहित 1962 के विनियम 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर, 1963 के विनियम 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित और प्रवर्तित, 1965 के विनियम 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर, और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर किया गया।

यह अधिनियम असम में 1971 के असम अधिनियम 16 द्वारा संशोधित किया गया।

<sup>2</sup> भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1950 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2(2) और अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (2) के अंत में “और” शब्द का और उपधारा (3) का लोप किया गया।

<sup>5</sup> 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन वाद ऐसे सिविल न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता उस स्थानीय क्षेत्र में हो जिसमें ऐसे कलक्टर का कार्यालय स्थित है जिसने प्रमाणपत्र दिया था तथा वाद का अवधारण उस स्थान पर प्रवृत्त विधि के अनुसार किया जाएगा जहां बकाया प्रोद्भूत हुई या राशि के संदाय के लिए दायित्व उद्भूत हुआ।

(3) उस वाद में वादी, पूर्वगामी धारा में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु पूर्वोक्त स्थान पर प्रवृत्त विधि के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय की बाबत साक्ष्य दे सकेगा।

<sup>1</sup>[(4) यदि <sup>2</sup>[पाकिस्तान या] बर्मा की विधि के भागरूप यथा प्रवृत्त इस अधिनियम के अधीन अथवा <sup>3</sup>[या पाकिस्तान या] बर्मा की विधि के भागरूप वैसे ही किसी अन्य अधिनियम के अधीन, <sup>4</sup>[यथास्थिति, पाकिस्तान या बर्मा] में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाहियां ऐसे प्रमाणपत्र में कथित रकम की वसूली के लिए की जाती हैं जो ऐसे <sup>5</sup>[किसी राज्य में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है,] कलक्टर द्वारा दिया गया हो, तो यह धारा लागू होगी।]

**5. अन्य लोक अधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय राशियों की कलक्टर द्वारा वसूली**—जहां कोई राशि कलक्टर से भिन्न किसी लोक अधिकारी द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय है वहां उस जिले का कलक्टर जिसमें उस अधिकारी या प्राधिकारी का कार्यालय स्थित है, उस अधिकारी या प्राधिकारी के निवेदन पर उस राशि को वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह ऐसी भू-राजस्व की बकाया हो जो उसके अपने जिले में प्रोद्भूत हुई हो तथा वसूल की जाने वाली रकम का एक प्रमाणपत्र इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन अन्य जिले के कलक्टर को भेज सकेगा मानो वह राशि स्वयं उसको संदेय हो।

**6. इस अधिनियम के अधीन विक्रय के दायित्वाधीन सम्पत्ति**—(1) जब किसी जिले का कलक्टर इस अधिनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र प्राप्त करता है तब वह उस जिले में व्यतिक्रमी की किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण या प्रभारण का प्रतिषेध करने वाली उद्घोषणा निकाल सकेगा।

(2) कलक्टर किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा उस उद्घोषणा को वापस ले सकेगा और वह उद्घोषणा तब वापस ली गई समझी जाएगी जब या तो प्रमाणपत्र में कथित रकम वसूल कर ली गई हो या उस रकम की वसूली के लिए सम्पत्ति विक्रीत कर दी गई हो।

(3) उद्घोषणा के निकाले जाने के पश्चात् और उसके वापस लिए जाने के पूर्व किया गया उस सम्पत्ति का या उसमें व्यतिक्रमी के किसी हित का प्राइवेट अन्य-संक्रमण, चाहे वह विक्रय, दान, बन्धक द्वारा हो या अन्यथा, <sup>6</sup>[सरकार के] और किसी ऐसे व्यक्ति के <sup>7</sup>[खिलाफ] शून्य होगा जो प्रमाणपत्र में कथित रकम की वसूली के लिए किए गए विक्रय पर उस सम्पत्ति को खरीदे।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यक्षीन, जब प्रमाणपत्र में कथित किसी रकम की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के खिलाफ कार्यवाहियां की जाती हैं तब उसमें व्यतिक्रमी के हितों के ही खिलाफ ऐसी कार्यवाहियां की जाएंगी और उसके द्वारा <sup>8</sup>सदभावपूर्वक सृजित विल्लंगम या किए गए अनुदान या की गई संविदाएं, उसके हितों के खिलाफ कार्यवाहियां किए जाने के कारण से ही अविधिमान्य नहीं होंगी।

(5) इस धारा के अधीन उद्घोषणा, डोंडी पिटवाकर या अन्य प्रचलित रीति से और उसकी एक प्रति को उस सम्पत्ति के जिससे वह संबद्ध है या उसके पास किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर की जाएगी।

**7. राजस्व से सम्बद्ध स्थानीय विधियों की व्यावृत्ति**—पूर्वगामी धाराओं की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह—

(क) भू-राजस्व की या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय राशियों की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उपबन्धित किसी प्रतिभूति का ह्रास करती है या उसके उपबन्धों को प्रभावित करती है; अथवा

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन किसी निगम, आयुक्त, समिति, बोर्ड, परिषद् को या नगरपालिका पर प्राधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति को संदेय किसी कर की वसूली के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी प्राधिकृत करती है।

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1937 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1937 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा “बर्मा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1950 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2(2) और अनुसूची द्वारा “भाग क राज्य या भाग ग राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “क्राउन” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार के खिलाफ” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>7</sup> साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 में परिभाषा देखिए।

8. भारत के परे प्रोद्भूत होने वाली कतिपय लोक मांगों की भारत में वसूली—जब यह अधिनियम किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर लागू किया गया हो जो <sup>1</sup>[केन्द्रीय सरकार <sup>2</sup>\*\*\*] के प्रशासन के अधीन है किन्तु जो <sup>3</sup>भारत <sup>4</sup>\*\*\* का भाग नहीं है, तब उस स्थानीय क्षेत्र में प्रोद्भूत होने वाले भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय और उस स्थानीय क्षेत्र में कलक्टर या अन्य लोक अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय राशि <sup>3</sup>[भारत <sup>4</sup>\*\*\*] में इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकेगी।

<sup>5</sup>[9. बर्मा में प्रोद्भूत होने वाले भू-राजस्व आदि की भारत में वसूली—(1) केन्द्रीय सरकार निदेश<sup>6</sup> दे सकेगी कि भू-राजस्व की कोई बकाया जो बर्मा में प्रोद्भूत हुई हो या कोई राशि जो भू-राजस्व की बकाया के रूप में बर्मा में वसूलीय हो और बर्मा में किसी कलक्टर या अन्य लोक अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हो, <sup>7</sup>\*\*\* भारत में इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकेगी, और तदुपरान्त ऐसी बकाया या राशि ऐसे वसूलीय होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसा कोई निदेश तब तक नहीं देगी जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि <sup>7</sup>\*\*\* भारत में प्रोद्भूत होने वाली बकाया का संदाय <sup>7</sup>\*\*\* भारत में अभ्यापत्ति के अधीन करने वाले व्यक्ति को <sup>7</sup>\*\*\* भारत में इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उपलब्ध उपचार, बर्मा में प्रोद्भूत होने वाली बकाया का संदाय भारत में अभ्यापत्ति के अधीन करने वाले व्यक्ति को बर्मा की विधि के अधीन उपलब्ध है।

(2) बर्मा में प्रवृत्त आय-कर या अधिकार से सम्बद्ध अधिनियमितियों के अधीन देय किसी कर की बकाया या शास्ति को इस आधार पर वसूल करने के लिए कलक्टर को ऐसी अतिरिक्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी जैसी कि उसे आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 46(2) के परन्तुक के अधीन भारतीय आय-कर और अधिकार के सम्बन्ध में प्राप्त हैं।]

<sup>8</sup>[(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) पाकिस्तान के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगी जैसे वे बर्मा के सम्बन्ध में लागू होती हैं।]

10. कतिपय दशाओं में संगृहीत धनराशियों को प्रेषित करने का कलक्टर का कर्तव्य—जहां कोई कलक्टर किसी अन्य राज्य के कलक्टर से या <sup>8</sup>[पाकिस्तान अथवा] बर्मा के किसी कलक्टर से इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त करता है वहां वह उस प्रमाणपत्र के आधार पर अपने द्वारा वसूल की गई किसी भी राशि को, उस मामले से सम्बद्ध अपने व्ययों की कटौती करने के पश्चात् उस कलक्टर को प्रेषित कर देगा।]

## अनुसूची

### प्रमाणपत्र

[देखिए धारा 3, उपधारा (1)]

प्रेषक

कलक्टर.....

सेवा में

कलक्टर.....

तारीख.....

.....रुपए की राशि.....मद्धे.....के पुत्र.....निवासी  
.....द्वारा संदेय है और यह विश्वास किया जाता है कि वे आपके जिले में (.....में हैं)  
(.....में.....रूप में सम्पत्ति रखते हैं)।

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के उपबंधों के अधीन, उक्त राशि आप द्वारा इस प्रकार वसूलीय है मानो कि वह ऐसे भू-राजस्व की बकाया हो जो आपके अपने जिले में प्रोद्भूत हुई हो और एतद्वारा आपसे यह वांच्छित है कि आप उसे उस प्रकार वसूल करें और.....में मेरे कार्यालय को प्रेषित करें।

क० ख०

कलक्टर.....

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा “या क्लाउन के प्रतिनिधि” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>3</sup> भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा “ब्रिटिश भारत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “के प्रांतों” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>5</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अतःस्थापित।

<sup>6</sup> इस धारा के अधीन निदेश के लिए भारत का राजपत्र, 1937, भाग 1, पृष्ठ 1941 देखिए।

<sup>7</sup> भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा “ब्रिटिश” शब्द का लोप किया गया।

<sup>8</sup> भारत (आय-कर, लाभ-कर और राजस्व वसूली अधिनियम अनुकूलन) आदेश, 1947 (जी०जी०ओ० 31, तारीख 10 दिसंबर, 1947) (भारत का राजपत्र 1947, असाधारण, पृष्ठ 1333) द्वारा अतःस्थापित।

---

# THE REVENUE RECOVERY ACT, 1890

---

## ARRANGEMENT OF SECTIONS

---

### SECTIONS

1. Title and extent.
2. Definitions.
3. Recovery of public demands by enforcement of processes in other districts than those in which they become payable.
4. Remedy available to person denying liability to pay amount recovered under last foregoing section.
5. Recovery by Collectors of sums recoverable as arrears of revenue by other public officers or by local authorities.
6. Property liable to sale under this Act.
7. Saving of local laws relating to revenue.
8. Recovery in India of certain public demands arising beyond India.
9. Recovery in India of land revenues' etc., accruing in Burma.
10. Duty of Collectors to remit moneys collected in certain cases.

### THE SCHEDULE.

# THE REVENUE RECOVERY ACT, 1890

ACT NO. 1 OF 1890<sup>1</sup>

[14th February, 1890.]

An Act to make better provision for recovering certain public demands.

WHEREAS it is expedient to make better provision for recovering certain public demands; It is hereby enacted as follows:—

**1. Title and extent.**—(1) This Act may be called the Revenue Recovery Act, 1890.

<sup>2</sup>[(2) It extends to the whole of India except <sup>3</sup>[\*the State of Jammu and Kashmir];] <sup>4</sup>\*\*\*

<sup>5</sup>\* \* \* \* \*

**2. Definitions.**—In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context,—

(1) “district” includes a presidency-town;

(2) “Collector” means the chief officer in charge of the land-revenue administration of a district; and

(3) “defaulter” means a person from whom an arrear of land-revenue, or a sum recoverable as an arrear of land-revenue, is due, and includes a person who is responsible as surety for the payment of any such arrear or sum.

**3. Recovery of public demands by enforcement of processes in other districts than those in which they become payable.**—(1) Where an arrear of land-revenue, or a sum recoverable as an arrear of land-revenue, is payable to a Collector by a defaulter being or having property in a district other than that in which the arrear accrued or the sum is payable, the Collector may send to the Collector of that other district a certificate in the form as nearly as may be of the Schedule, stating—

(a) the name of the defaulter and such other particulars as may be necessary for his identification, and

(b) the amount payable by him and the account on which it is due.

(2) The certificate shall be signed by the Collector making it <sup>6</sup>[or by any officer to whom such Collector may, by order in writing, delegate this duty], and, save as otherwise provided by this Act, shall be conclusive proof of the matters therein stated.

(3) The Collector of the other district shall, on receiving the certificate, proceed to recover the amount stated therein as if it were an arrear of land-revenue which had accrued in his own district.

---

1. This Act has been modified in its application to the Benares Family Domains, *see* s.15 of the Benares Family Domains Act, 1904 (U.P. Act 3 of 1904).

The Act has been extended to Goa, Daman and Diu with modifications by Reg. 12 of 1962, s. 3 and the Schedule, extended to and brought into force in Dadra and Nagar Haveli by Reg. 6 of 1963, s. 2 and the First Schedule (w.e.f. 1-7-1965), to the Union territory of Lakshadweep by Reg. 8 of 1965, s. 3 and the Schedule (w.e.f. 1-10-1967) and to the Union territory of Pondicherry by Act 26 of 1968, s. 3 and the Schedule.

The Act has been amended in Assam by the Assam Act 16 of 1971.

2. Subs. by the India (Adaptation of Income-tax, Profits Tax and Revenue Recovery Acts) Order, 1947 (G.G.O. 31, dated the 10th December, 1947) (Gazette of India, 1947, Extraordinary, p. 1333), for sub-section (2).

3. Subs. by Act 33 of 1950, s. 2 and the Schedule, for “Part B States”.

4. The word “and” rep. by Act 10 of 1914, s. 3 and the Second Schedule.

5. Sub-section (3) rep. by s. 3 and the Second Schedule, *ibid*.

6. Ins. by Act 4 of 1914, s. 2 and the Schedule, Part I.

\*. Now applicable to the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh by the Notification of Government of India, M/o Home Affairs vide No. S.O. 3912 (E), dated 30th October, 2019 (w.e.f. 31-10-2019).

## STATE AMENDMENTS

### Assam

**Insertion of new section.**—After Section 3 of the principal Act, the following shall be inserted as section 3A, namely:—

**“3A.—Certificate Officers to perform the functions of Collector in respect of certificates received.**—Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, when any certificate is received under this Act, by the Collector of a District, any certificate officer in the district may exercise all the powers and perform all the duties and functions of such Collector under this Act, in respect of such certificate.

*Explanation*—In this section ‘Certificate Officer’ has the same meaning as in the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act III of 1913).”

[*Vide* Assam Act 16 of 1971, s. 2.]

**4. Remedy available to person denying liability to pay amount recovered under last foregoing section.**—(1) When proceedings are taken against a person under the last foregoing section for the recovery of an amount stated in a certificate, that person may, if he denies his liability to pay the amount or any part thereof and pays the same under protest made in writing at the time of payment and signed by him or his agent, institute a suit for the repayment of the amount or the part thereof so paid.

(2) A suit under sub-section (1) must be instituted in a Civil Court having jurisdiction in the local area in which the office of the Collector who made the certificate is situate, and the suit shall be determined in accordance with the law in force at the place where the arrear accrued or the liability for the payment of the sum arose.

(3) In the suit the plaintiff may, notwithstanding anything in the last foregoing section, but subject to the law in force at the place aforesaid, give evidence with respect to any matter stated in the certificate.

<sup>1</sup>[(4) This section shall apply if under this Act as in force as part of the law of <sup>2</sup>[Pakistan or] Burma, or under any other similar Act forming part of the law of <sup>2</sup>[Pakistan or] Burma, proceedings are taken against a person in <sup>3</sup>[Pakistan or] Burma, as the case may be,] for the recovery of an amount stated in a certificate made by a Collector in <sup>4</sup>[any State to which this Act extends].]

**5. Recovery by Collectors of sums recoverable as arrears of revenue by other public officers or by local authorities.**—Where any sum is recoverable as an arrear, of land-Revenue of any public officer other than a Collector or by local authority, the Collector of the district in which the office of that officer or authority is situate shall, on the request of the officer or authority, proceed to recover the sum as if it were an arrear of land-revenue which had accrued in his own district, and may send a certificate of the amount to be recovered to the Collector of another district under the foregoing provisions of this Act, as if the sum were payable to himself.

**6. Property liable to sale under this Act.**—(1) When the Collector of a district receives a certificate under this Act, he may issue a proclamation prohibiting the transfer or charging of any immovable property belonging to the defaulter in the district.

(2) The Collector may at any time, by order in writing, withdraw the proclamation, and it shall be deemed to be withdrawn when either the amount stated in the certificate has been recovered or the property has been sold for the recovery of that amount.

(3) Any private alienation of the property or of any interest of the defaulter therein, whether by sale, gift, mortgage or otherwise, made after the issue of the proclamation and before the withdrawal thereof,

---

1. Ins. by the A.O.1937.

2. Ins. by the India (Adaptation of Income-tax, Profits Tax and Revenue Recovery Acts) Order, 1941 (G.G.O. 31, dated the 10th December, 1947), (Gazette of India, 1947, Extraordinary, p. 1333).

3. Subs., *ibid.*, for “Burma”.

4. Subs. by Act 33 of 1950, s. 2 and the Schedule for “a Part A State or a Part C State”.

shall be void as <sup>1</sup>[against the <sup>2</sup>[Government]] and any person who may purchase the property at a sale held for the recovery of the amount stated in the certificate.

(4) Subject to the foregoing provisions of this section, when proceedings are taken against any immovable property under this Act for the recovery of an amount stated in a certificate, the interest of the defaulter alone therein shall be so proceeded against, and no incumbrances created, grants made or contracts entered into by him in <sup>3</sup>good faith shall be rendered invalid by reason only of proceedings being taken against those interests.

(5) A proclamation under this section shall be made by beat of drum or other customary method and by the posting of a copy thereof on a conspicuous place in or near the property to which it relates.

**7. Saving of local laws relating to revenue.**—Nothing in the foregoing sections shall be construed—

(a) to impair any security provided by, or affect the provisions of, any other enactment for the time being in force for the recovery of land-revenue or of sums recoverable as arrears of land-revenue, or

(b) to authorise the arrest of any person for the recovery of any tax payable to the corporation, commissioner, committee, board, council or person having authority over a municipality under any enactment for the time being in force.

**8. Recovery in India of certain public demands arising beyond India.**—When this Act has been applied to any local area which is under the administration of <sup>4</sup>[the Central Government <sup>5</sup>\*\*\*] but which is not part of <sup>6</sup>[<sup>7</sup>\*\*\* India], an arrear of land-revenue accruing in that local area, or a sum recoverable as an arrear of land-revenue and payable to a Collector or other public officer or to a local authority in that local area, may be recovered under this Act in <sup>6</sup>[<sup>7</sup>\*\*\* India].

<sup>8</sup>**[9. Recovery in India of land revenues, etc., accruing in Burma.**—(1) The Central Government may direct<sup>9</sup> that an arrear of land-revenue accruing in Burma or a sum recoverable in Burma as an arrear of land-revenue and payable to a Collector or other public officer or to a local authority in Burma may be recovered under this Act in <sup>10</sup>\*\*\* India and thereupon such arrear or sum shall be so recoverable:

Provided that the Central Government shall not give any such direction unless it is satisfied that the remedy available under section 4 of this Act in <sup>10</sup>\*\*\* India to a person paying under protest in <sup>10</sup>\*\*\* India an arrear accruing in <sup>10</sup>\*\*\* India is available under Burma law in Burma to a person paying under protest in <sup>10</sup>\*\*\* India an arrear accruing in Burma.

(2) For recovering by virtue of this section any arrears of tax, penalty due under the enactments relating to income-tax or super-tax in force in Burma, the Collector shall have such additional powers as he has in the case of Indian income-tax and super-tax under the proviso to section 46(2) of the Income-tax Act, 1922 (11 of 1922).

<sup>11</sup>[(3) Sub-sections (1) and (2) shall apply in relation to Pakistan as they apply in relation to Burma.]

**10. Duty of Collectors to remit moneys collected in certain cases.**—Where a Collector receives a certificate under this Act from, a Collector of another State or a Collector in <sup>8</sup>[Pakistan or] Burma, he shall remit any sum recovered by him by virtue of that certificate to that Collector, after deducting his expenses in connection with the matter.]

---

1. Subs. by the A.O. 1937, for “against the Government”.

2. Subs. by the A.O. 1948, for “Crown”.

3. See definition in the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), s. 22.

4. Subs. by the A.O. 1937, for “the G. G. in C.”.

5. The words “or the Crown Representative” omitted by the India (Adaptation of Income-tax, Profits Tax and Revenue Recovery Acts) Order, 1947 (G. G. O. 31, dated the 10th December, 1947) (Gazette of India, 1947, Extraordinary, p. 1333).

6. Subs., *ibid.*, for “British India”.

7. The words “the Provinces of” omitted by the A.O. 1950.

8. Ins. by the A. O. 1937.

9. For a direction under this section, see Gazette of India, 1937, Pt. I, p. 1941.

10. The word “British” omitted by the India (Adaptation of Income-tax, Profits Tax and Revenue Recovery Acts) Order, 1947 (G.G.O.31, dated the 10th December, 1947) (Gazette of India, 1947, Extraordinary, p. 1333).

11. Ins., *ibid.*



THE SCHEDULE

CERTIFICATE

[See section 3, sub-section (I)]

From

The Collector of

To

The Collector of

Dated the of 18

The sum of Rs. is payable on account of by, son of, resident of, who is believed (to be at) (to have property consisting of at) in your district.

Subject to the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890, the said sum is recoverable by you as if it were an arrear of land-revenue which had accrued in your own district, and you are hereby desired so to recover it and to remit it to my office at

*A.B.,*

*Collector of*

---